भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2068

11 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

मलिन बस्तियों के उन्मूलन और पुनर्वास की पहले

†2068. श्री कल्याण बनर्जीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महानगरों और शहरों में मलिन बस्तियों के उन्मूलन के लिए पुनर्वास प्रस्तावों के साथ विभिन्न परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो पात्रता मानदंड, शर्तों और उसकी वित्तपोषण प्रक्रिया सहित ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप मलिन बस्ती उन्मूलन कार्यक्रम 2030 की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, स्लमों के उन्मूलन से संबंधित योजनाएं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। हालाँकि, भारत सरकार वर्ष 2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के माध्यम से महानगरों और शहरों के स्लम वासियों सहित देश भर में सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान कर रही है। पीएमएवाई-यू योजना चार घटकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए पीएमएवाई-यू की योजना अवधि को 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने इस योजना को नया रूप दिया है और अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की सहायता करने के उद्देश्य से देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

इन योजनाओं के अंतर्गत बीएलसी और एएचपी घटक में लाभार्थियों का चयन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) द्वारा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाता है:

I. भारत में कहीं भी अपने या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर पक्का आवास नहीं है।

II. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित हैं, जिनकी वार्षिक घरेलू आय ₹3 लाख तक है।

III. बीएलसी घटक के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए भूमि का स्वामित्व।

इसके अलावा, एआरएच घटक के तहत, 6 लाख रुपये की आय सीमा तक के ईडब्ल्यूएस/निम्न आय वर्ग (एलआईजी) श्रेणियों के पात्र लाभार्थी किफायती दर पर किराया आवास का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, आईएसएस घटक के तहत, ईडब्ल्यूएस/एलआईजी और प्रति वर्ष 9 लाख रुपये की आय सीमा तक के मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) श्रेणियों के लाभार्थी आवासों की खरीद/पुनः खरीद/निर्माण के लिए आवास ऋण पर सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र हैं।

पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, इस योजना के तहत आवासों की खरीद/निर्माण के लिए आवश्यक निधि केंद्र सरकार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/यूएलबी/कार्यान्वयन एजेंसियों और लाभार्थियों के बीच साझा की जाती है। पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत वित्त पोषण का उद्देश्य लाभार्थियों को एक प्रोत्साहन प्रदान करना और उन्हें अन्य स्रोतों से भी निधि की व्यवस्था करके अपने आवासों का निर्माण करने में सक्षम बनाना है। हालांकि, लाभार्थियों पर बोझ कम करने के लिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र पीएमएवाई-यू 2.0 दिशानिर्देशों के अनुसार अपना बढ़ा हुआ हिस्सा प्रदान कर सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 के बीएलसी/एएचपी घटकों के तहत सरकारी सहायता 90:10 (2.25 लाख रुपये: 0.25

लाख रुपये प्रति आवास) के अनुपात में तय की गई है। शेष संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, केंद्र और राज्य का साझाकरण अनुपात 100:0 (2.50 लाख रुपये: 0.00 लाख रुपये प्रति आवास) है, जबकि अन्य राज्यों के लिए यह 60:40 (1.50 लाख रुपये: 1.00 लाख रुपये प्रति आवास) है। इसके अलावा, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आवासों की किफायत बढ़ाने के लिए अपने हिस्से को बढ़ा सकते हैं और पीएमएवाई-यू 2.0 लाभार्थियों को गृह ऋण की सुविधा भी प्रदान कर सकते हैं।

(ग) पीएमएवाई-यू 2.0 स्लम केंद्रित योजना नहीं है। स्लम उन्नयन/पुनर्विकास इस योजना का एक घटक है, जिसका स्वरूप सार्वभौमिक है और 'सभी के लिए आवास' दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह योजना पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप है।

*****